न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी 2412-I-15

1. अवधरानी बेवा प्रहलादसिंह
2. प्रेमसिंह तनय प्रहलादसिंह
3. धीरजसिंह तनय प्रहलादसिंह
4. हरप्रसाद पिता लक्ष्मन
सभी निवासी- ग्राम बेलई तह० बीना,
जिला सागर म.प्र. .. आवेदकगण

।। विरूद्ध ।।

1. राजेन्द्रसिंह पिता श्री दुर्जनसिंह
2. शिवराजसिंह पिता दुर्जनसिंह
3. मुन्नासिंह पिता श्री दुर्जनसिंह
तीनों निवासी ग्राम बेलई तह० बीना,
जिला सागर म.प्र.
4. म.प्र. शासन ...अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा -50 म.प्र. भू रा.सं. 1959
विरूद्ध अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर द्वारा
अपील प्र०क्र० 125/अ-5 वर्ष 2011-12 में पारित आदेश
दि० 06.05.2015 से दुखित होकर

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना है :-

1- यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि अनावेदकगणों [redacted] ग्राम बेलई में स्थित पूर्व बंदोवस्त पूर्व पुराना ख.नं. 262/4, 261, 262/5, रकवा क्रमशः 0.590, 0.200, 0.061 है० भूमि थी बंदोवस्त के उपरांत नये ख.नं. 178, 177, 292, रकवा 0.590 0.20, 0.060है० रकवा नया बनाया गया, पुराने नक्शे से नया नक्शा भिन्न बनाये जाने से सुधार हेतु एक आवेदनपत्र धारा 89 के तहत तहसीलदार, बीना के न्यायालय में अनावेदकगणों द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसके आधार

..2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2541-2/I/15 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-9-15	प्रकरण में आवेदक अभि० उपस्थित। अभि० को सुना गया। आवेदक अभि० द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए जो निगरानी मेमो में अंकित हैं तथा मौखिक रूप से यह भी बताया गया कि अपील प्रकरण 2011 के बाद से भू-राजस्व संहिता के निहित प्रावधानों के अनुसार प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 6.5.15 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है निगरानी ग्राह्य करने का निवेदन किया गया। अभि० के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 6-5-15 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि प्रकरण कलेक्टर सागर को प्रत्यावर्तित किया गया है जो विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है। अवलोकन एवं विश्लेषणोपरांत अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 6-5-15 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण में	

[कृ. प. उ.

R.241/12/15 (55)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ... आदि के हस्ताक्षर
	उपरोक्त विवाद बिन्दुओं का उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर गुणदोष के आधार पर निस्तारण करने हेतु प्रकरण अपर आयुक्त मेरठ को प्रत्यावर्तित किया जाता है। उपरोक्त निर्देशों के साथ अध्यासी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। (हस्ताक्षर) सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.